सल्तनतकालीन प्रशासन

■ केन्द्रीय प्रशासन

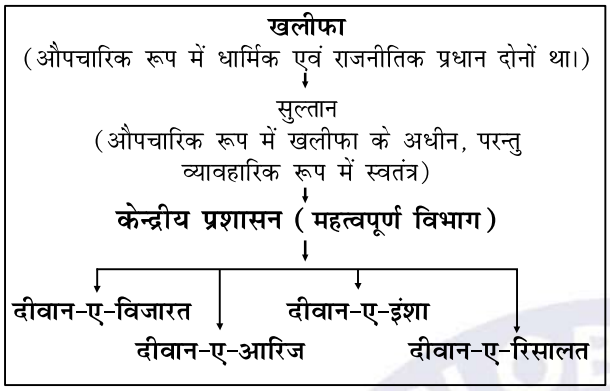

दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मुख्य केन्द्र सुल्तान होता था। सैद्धान्तिक रूप से सुल्तान खलीफा के अधीन होता था, किन्तु व्यावहारिक रूप में वह सिविल, सैनिक तथा न्यायिक मामलों का प्रधान होता था। सुल्तान के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रशासन में बरनी निम्नलिखित चार प्रमुख विभागों की चर्चा करता है-

1. **दीवान-ए-विजारत**- यह विभाग 'वजीर' नामक अधिकारी के अंतर्गत होता था। औपचारिक रूप में वजीर को प्रधानमंत्री की हैसियत प्राप्त होती थी। यह विभाग भू-राजस्व का आकलन एवं अन्य प्रकार के राजस्वों का लेखा-जोखा तथा उनकी वसूली के लिए उत्तरदायी था।

2. **दीवान-ए-आरिज**- चूँकि राज्य की शक्ति का आधार एक सक्षम सैन्य तंत्र था, अतः 'दीवान-ए-आरिज' एक महत्वपूर्ण विभाग था। बलबन ने इस विभाग का गठन किया था। यह विभाग सैनिकों की नियुक्ति, उनका रख-रखाव एवं प्रशिक्षण, तनख्वाह का आबंटन आदि से सम्बद्ध था। यद्यपि मुख्य सेनापति सुल्तान ही होता था और वही युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था, किन्तु सुल्तान के बाद 'अर्ज-ए-मुमालिक' ही सैनिक मामलों का प्रधान होता था।

3. **दीवान-ए-इंशा**- यह राजकीय पत्राचार विभाग था। इससे सम्बद्ध अधिकारी 'दबीर-ए-मुमालिक' होता था। यही विभाग विदेशी पत्राचार में मुख्य भूमिका अदा करता था। यह विभाग राजकीय फरमानों को जारी करता था तथा राजकीय आदेश, प्रान्तीय अधिकारियों तक प्रेषित करता था।

4. **दीवान-ए-रिसालत**- यह एक धार्मिक विभाग था, जो विद्वानों को सहायता और अनुदान प्रदान करता था। इसका प्रधान सद्र-उस-सुद्र था। वह धार्मिक आचरणों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई भी करता था। इसी से सम्बद्ध काजी का विभाग भी होता था जो न्यायिक कार्य देखता था। यद्यपि वह न्याय की अन्तिम अपील नहीं था क्योंकि न्याय की अंतिम अपील स्वयं सुल्तान था। अधिकतर स्थिति में काजी और सद्र के पद एक ही व्यक्ति को दिये जाते थे।

■ विभिन्न सुल्तानों के द्वारा समय-समय पर स्थापित विभिन्न विभाग:

1. **दीवान-ए-वकुफ**- इस विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। यह विभाग दीवान-ए-विजारत के अन्तर्गत कार्य करता था और यह विभाग व्यय के आकलन से सम्बद्ध था।
2. **दीवान-ए-मुस्तखराज**- इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह विभाग भी दीवान-ए-विजारत के अन्तर्गत कार्य करता था और यह बकाया राशि की वसूली से सम्बद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू-राजस्व की वसूली के लिए सरकारी अधिकारियों को अधिकृत किया था।
3. **दीवान-ए-रियासत**- अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के सफल संचालन के लिए इस विभाग की स्थापना की।
4. **दीवान-ए-कोही**- गंगा-यमुना दोआब में प्रगतिशील खेती के संचालन के लिए मुहम्मद-बिन-तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की। यह विभाग भी दीवान-ए-विजारत के संरक्षण में ही कार्य करता था।
5. **दीवान-ए-खैरात**- निर्धन मुसलमानों को उनकी पुत्री की शादी में अनुदान देने के लिए फिरोजशाह तुगलक के द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई थी।
6. **दीवान-ए-इश्तिहाक**- फिरोजशाह तुगलक के द्वारा वृद्ध जनों की देखभाल के लिए एक पेंशन विभाग की स्थापना की गई थी। यह विभाग उसी से संबंधित था।
7. **दीवान-ए-बंदगान**- दासों के रखरखाव के लिए फिरोजशाह तुगलक के द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई थी। उसने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी।

■ दिल्ली सल्तनत के अधीन कुछ ऐसे अधिकारी, जो किसी विभाग से जुड़े हुए नहीं थे अर्थात् जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया था-

1. **नायब-ए-ममलिकात**- यह सुल्तान के अधीन नायब सुल्तान (उप-सुल्तान) का पद था। सामान्यतः जब सुल्तान की स्थिति कमजोर होती, तो फिर इस पद का सृजन किया जाता था।
2. **सर-ए-जानदार**- यह सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक दल का प्रधान होता था।

3. **अमीर-ए-मजलिस**- यह राजकीय उत्सव एवं समारोहों से संबद्ध प्रधान अधिकारी था।
4. **मीर-ए-आतिश**- तोपखाने का प्रधान।
5. **बरीद-ए-मुमालिक**- गुप्तचर विभाग का प्रधान।
6. **दीवान-ए-बयुतत**- राजकीय कारखाने का प्रधान।
7. **अमीर-ए-हाजिब**- यह अधिकारी दरबार के अनुशासन एवं अमीरों के पदानुक्रम के निर्धारण से संबद्ध था।

■ **प्रांतीय प्रशासन (इक्ता प्रशासन)**

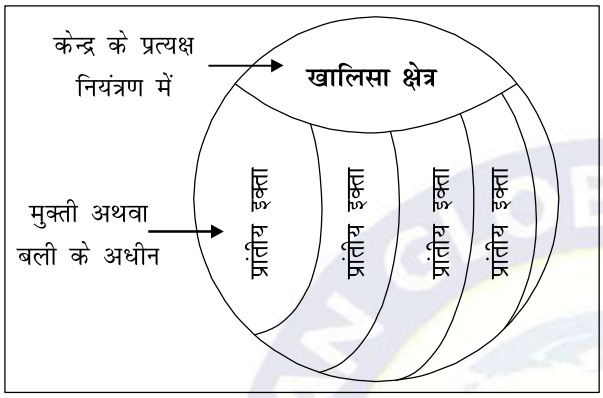

सल्तनत काल में कोई मानक प्रांतीय प्रशासन का विकास नहीं हुआ था, अपितु दूरवर्ती क्षेत्रों से राजस्व के संग्रह के लिए इक्ता व्यवस्था को आरम्भ किया गया था। इक्ता का अर्थ होता है-भूमि खंड। इसे राज्य के द्वारा विभिन्न अमीरों के बीच आबंटित किया जाता था। इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय इल्मुतमिश को दिया जाता है। साम्राज्य को बड़े-बड़े प्रांतीय इक्ता में बाँट दिया जाता था। उसका प्रधान मुक्ती अथवा वली कहलाता था। उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह संबंधित क्षेत्र में राजस्व की वसूली करे और उससे अपने प्रशासनिक और सैनिक खर्च को पूरा करे तथा फवाज़िल रकम (बची हुई राशि) को केन्द्रीय खजाने में जमा करा दे। मुक्ती का पद वंशानुगत नहीं होता था तथा स्थानान्तरणीय था।

दूसरी तरफ, खालिसा भूमि, वह भूमि होती थी जिसकी आय सुल्तान के लिये सुरक्षित रखी जाती थी। खालिसा क्षेत्र का प्रशासन इक्ता प्रणाली से भिन्न होता था। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण सदैव ही शहना, अमीर या मलिक नामक अधिकारी के माध्यम से किया जाता था।

■ **स्थानीय प्रशासन**

स्थानीय प्रशासन
↓
शिक → शिकदार
↓
परगना → चौधरी
↓
ग्राम → मुकद्दम (मुखिया)
→ पटवारी (अर्द्ध-सरकारी अधिकारी)

सल्तनत काल में हमें स्थानीय प्रशासन के बारे में स्पष्ट सूचना नहीं मिल पाती, किंतु ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस काल में शिक और परगना जैसी प्रशासनिक इकाईयों का विकास हो गया था। प्रांत का विभाजन शिक में होता था। शिक के ऊपर 'शिकदार' नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। शिक का विभाजन परगनों में होता था और इसके अधिकारी के रूप में 'चौधरी' का जिक्र मिलता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव होती थी। गाँव का शासन कार्य चलाने के लिये मुकद्दम अथवा मुखिया होते थे। उसके सहयोग के लिए एक अर्द्ध-सरकारी अधिकारी, 'पटवारी' की नियुक्ति की जाती थी जिसके पास भूमि के कागजात होते थे।

मुगलकालीन प्रशासन

■ **केन्द्रीय प्रशासन**

सल्तनत काल से मुगल काल तक प्रशासनिक संरचना में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्व दृष्टिगत होते हैं। सल्तनत काल में फारसी संस्थाओं को देशी परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का प्रयास किया गया। मुगल काल में प्रचलित संस्थाओं में सुधार लाकर उन्हें एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया। मुगल प्रशासनिक ढाँचे की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ थीं- प्रशासनिक एकरूपता तथा रोक और संतुलन अर्थात् केंद्रीय प्रशासन में विभिन्न विभाग एक-दूसरे पर रोक और संतुलन स्थापित करते थे।

प्रशासन के शीर्ष पर बादशाह होता था। व्यवहार में वह अक्षुण्ण शक्ति का उपयोग करता था, वही राज्य का अंतिम कानून निर्माता, शासन व्यवस्थापक, न्यायाधीश और सेनापति था। मुगल काल में निम्नांकित विभाग कार्यरत थे-

1. **वकील या वजीर**- मध्य एशियाई तथा तैमूरी परंपरा में वकील को अत्यधिक शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वह सरकार की विभिन्न शाखाओं, जिनमें राजस्व विभाग एवं सेना विभाग भी शामिल थे, निगरानी करता था। फिर आगे वकील के पद पर बैरम खाँ की नियुक्ति के साथ वकील की शक्ति और भी बढ़ गई। परंतु बैरम खाँ के विद्रोह के पश्चात् इस पद की महत्ता घटने लगी तथा यह पद औपचारिक रूप से बना तो रहा, परंतु इसकी शक्ति सीमित हो गई।

2. दीवान-ए-आला या दीवान-ए-कुल- वकील (वजीर) से वित्तीय शक्तियाँ वापस लेकर इस विभाग की स्थापना की गई थी। यह राजस्व निर्धारण, राजस्व की वसूली तथा आय-व्यय के ब्यौरे से संबद्ध विभाग था। राजकीय कोष का निरीक्षण तथा लेखा संबंधी जाँच करना उसका प्राथमिक कार्य था। वह प्रत्येक विभाग में होने वाले सभी लेन-देन एवं भुगतानों का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण करता था। उसके अनुमोदन के बिना नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी कोई नया आदेश जारी नहीं किया जा सकता था। दीवान के पद के महत्व को कम करने के लिये एक से अधिक दीवान की नियुक्ति की जाती थी, ताकि वे एक-दूसरे पर उचित रोक और संतुलन स्थापित कर सकें।

3. मीर बख्शी- मुगलकालीन केन्द्रीय प्रशासन का तीसरा महत्त्वपूर्ण विभाग मीर बख्शी का विभाग था। सल्तनत काल में भी यह विभाग मौजूद था, परंतु यह 'दीवान-ए-अर्ज' के नाम से जाना जाता था। मीर बख्शी साम्राज्य का सर्वोच्च भुगतान अधिकारी होता था। वह साम्राज्य के सभी सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को भुगतान करता था। वह मनसबदारों की नियुक्ति के लिये सिफारिश तथा उनके लिये जागीर की अनुशंसा करता था, जबकि जागीर देने का काम बादशाह की स्वीकृति के बाद दीवान-ए-आला करता था। इस प्रकार रोक एवं संतुलन के द्वारा दोनों एक-दूसरे को नियंत्रित करते थे। इसके अतिरिक्त, वह व्यक्तिगत तौर पर घोड़ों के दाग तथा सैनिकों की उपस्थिति की जाँच करता था। मीर बख्शी सम्राट के समक्ष सैन्य विभाग संबंधी सभी मामले रखता था।

4. मीर-ए-समाँ अथवा खान-ए-समाँ- सल्तनत काल में राजघराने की देख-रेख के लिए ऐसा कोई अलग विभाग नहीं था, परंतु मुगल काल में शाही हरम के प्रधान मीर-ए-समाँ को एक अलग विभाग का प्रधान माना जाता था। मीर-ए-समाँ अथवा खान-ए-समाँ राजकीय कारखानों का अधिकारी होता था। राजकीय महल की वस्तुओं की खरीद एवं उसके भंडारण की जिम्मेदारी भी उसी की थी। इसके अतिरिक्त, युद्ध के अस्त्र से लेकर विलास की वस्तुओं तक के उत्पादन का निरीक्षण करना भी उसका उत्तरदायित्व था। इस पद पर रोक एवं संतुलन स्थापित करने की उचित व्यवस्था की गई थी। उदाहरण के लिए, इस विभाग के द्वारा प्रस्तुत लेख, परीक्षण के लिए दीवान के विभाग में भी भेज दिया जाता था।

5. सद्र-उस-सुद्र - केंद्रीय प्रशासन से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण विभाग सद्र-उस-सुद्र का विभाग था। सद्र-उस-सुद्र धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष था। यह बादशाह का मुख्य धार्मिक परामर्शदाता होता था। इसका मुख्य कार्य शरीयत के कानून का संरक्षण था। धार्मिक अनुदान का वितरण करना भी उसी के जिम्मे था। यह धार्मिक मामलों से संबंधित मुकद्दमे भी देखता था।

■ प्रांतीय प्रशासन

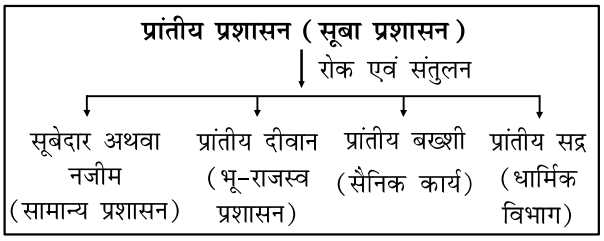

मुगल काल में व्यवस्थित रूप में प्रांतीय प्रशासन की शुरुआत हुई। इसका श्रेय अकबर को दिया जाता है। अकबर ने अपने साम्राज्य को बारह सूबों में विभाजित किया था जो उसके शासन काल के अंत तक बढ़कर पंद्रह हो गए। अकबर की प्रशासनिक नीति दो सिद्धांतों द्वारा निर्देशित थी- प्रशासनिक एकरूपता तथा रोक एवं संतुलन।

1. सूबेदार अथवा नजीम- प्रांतीय प्रशासन, केन्द्रीय प्रशासन का ही प्रतिरूप था। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख नजीम, सूबेदार अथवा सरसूबा होता था। उसकी नियुक्ति सम्राट की आज्ञा से केन्द्रीय दीवान की अनुशंसा पर 3 वर्षों के लिए होती थी। वह प्रांतीय सेना का सेनापति था। वह कानून-व्यवस्था को बनाए रखने, सामान्य प्रशासन तथा प्रजा के कल्याण के लिए भी उत्तरदायी था।

2. प्रांतीय दीवान- केन्द्रीय दीवान की अनुशंसा पर बादशाह प्रांतीय दीवान की नियुक्ति करता था। वह एक स्वतंत्र अधिकारी था तथा सीधा केंद्र के प्रति उत्तरदायी था। वह सूबे के राजस्व विभाग का प्रमुख था। प्रांतीय दीवान, सूबे से की गयी राजस्व की वसूली का निरीक्षण करता था। वह सूबे के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि का पूरा ब्यौरा एवं अन्य व्यय संबंधी विवरण भी रखता था। इस प्रकार दीवान को सूबेदार से अलग करके तथा दीवान के हाथों में वित्तीय मामलों को देकर मुगल शासक सूबेदारों की शक्ति पर अंकुश लगाने में सक्षम हुए।

3. प्रान्तीय बख्शी- केन्द्रीय बख्शी की अनुशंसा पर इसकी नियुक्ति होती थी। वह केंद्र में कार्य कर रहे मीर बख्शी के समान प्रांतों में सेना की देखरेख करता था। वह सूबे में मनसबदारों द्वारा रखे गए घोड़ों और सैनिकों की जाँच और निरीक्षण करता था। वह मनसबदारों और सैनिकों का वेतन-पत्र जारी करता था। वह गुप्तचर सेवा का प्रधान भी होता था तथा साम्राज्य की सुरक्षा से संबंधित कतिपय संवेदनशील सूचना सीधा मीर बख्शी को प्रेषित करता था।

4. प्रांतीय सद्र- केंद्रीय सद्र के मॉडल पर प्रांत में भी एक सद्र के पद को स्थापित किया गया। सद्र आलिम फाजिलों के लिए अनुदानों की सिफारिश करता था तथा वह न्याय विभाग का भी प्रधान था।

■ स्थानीय प्रशासन

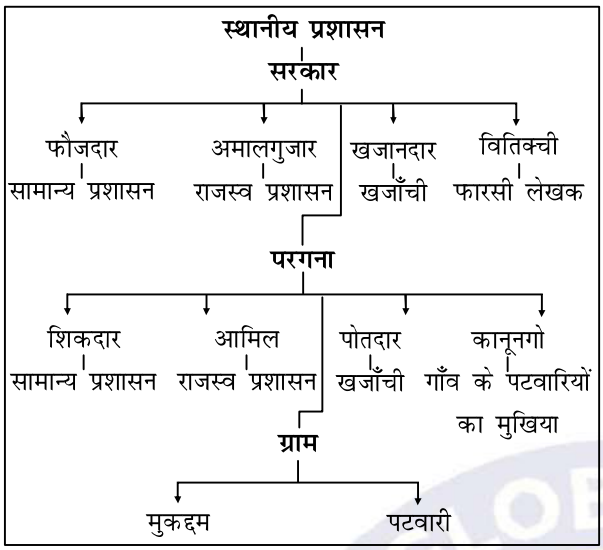

सरकार– प्रांत से नीचे की इकाई सरकार थी। सरकार स्तर पर प्रमुख अधिकारी थे– फौजदार, अमालगुजार, खजानदार एवं वितिक्ची।

- **फौजदार**– स्थानीय प्रशासन में फौजदार को मुगल साम्राज्य का सीधा प्रतिनिधि माना जाता था। फौजदार सरकार का कार्यकारी प्रधान होता था। उसका दायित्व मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखना था, किंतु वह राजस्व की उगाही में आमिल या अमालगुजार की सहायता भी करता था। वह स्थानीय फौजों का भी निरीक्षण करता था। कभी–कभी एक सरकार में कई फौजदार होते थे और कभी–कभी दो सरकारों पर एक ही फौजदार की नियुक्ति होती थी।
- **अमालगुजार**– फौजदार के बाद सरकार में अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकारी अमालगुजार था। अमालगुजार सर्वप्रमुख राजस्व समाहर्त्ता था। उसका मुख्य कार्य अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से राजस्व वसूली का निर्धारण और निरीक्षण करना था। एक अच्छे अमालगुजार से यह आशा की जाती थी कि वह अपने क्षेत्रों में कृषि का विस्तार करे और किसानों को बिना जोर–जबरदस्ती के राजस्व देने के लिए प्रेरित करे। सभी प्रकार के लेखा की देखरेख भी उसके जिम्मे थी। वह प्रतिदिन की वसूली तथा व्यय का ब्यौरा प्रांतीय दीवान को भेजता था। अमालगुजार के अंतर्गत दो अन्य अधिकारी होते थे– वितिक्ची तथा खजानदार। 'वितिक्ची' एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है 'लेखक'।

परगना– सरकार के नीचे की प्रशासनिक इकाई परगना थी। परगना से जुड़े निम्नलिखित अधिकारी थे–

- **शिकदार**– परगना का कार्यकारी अधिकारी शिकदार था। यह कानून व्यवस्था का संरक्षक था तथा भू–राजस्व के संग्रह में आमिल की सहायता करता था।
- **आमिल**– यह भू–राजस्व प्रशासन से जुड़ा था।
- **पोतदार**– खजाँची
- **कानूनगो**– यह गाँव के पटवारियों का मुखिया तथा स्वयं कृषि भूमि का पर्यवेक्षक होता था। अपने क्षेत्र से संबंधित भूमि का लेखा–जोखा कानूनगो अपने पास रखता था। अबुल फज़ल के अनुसार कानूनगो किसानों का आश्रयदाता था क्योंकि वही फसलों और लोगों इत्यादि का पूरा विवरण रखता था।

ग्राम प्रशासन– प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। इससे जुड़े हुए अधिकारी, मुकद्दम तथा पटवारी थे। मुकद्दम गाँव का मुखिया था, जबकि पटवारी ग्राम स्तर पर राजस्व का लेखा–जोखा रखता था। मुगल काल में ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी तथा यह मुगल प्रशासनिक व्यवस्था से स्वतंत्र इकाई थी।

मनसबदारी व्यवस्था

'मनसब' फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है 'पद'। अकबर ने यह पद्धति अपने शासन के 19वें वर्ष अर्थात् 1575 ई. में लागू की। मनसबदारी पद्धति को मुगल प्रशासन का इस्पाती ढाँचा करार दिया जा सकता है। मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अकबर ने अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी तथा सैन्य अधिकारी सभी को एक–दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया। मनसबदारी पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी का पद जोड़े अंक में व्यक्त होता था– जात और सवार। उदाहरण के लिए–

जात रैंक/सवार रैंक

5000/5000

4000/3000

3000/1000

पहली संख्या (जात) से मनसबदार का व्यक्तिगत वेतन और पदानुक्रम में उसकी हैसियत और स्थान निर्धारित होता था। दूसरी संख्या (सवार) से मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी और इस सेना के रख–रखाव के लिए देय राशि तय की जाती थी।

- अबुल फज़ल के अनुसार, मनसबदारों के कुल 66 ग्रेड थे जो 10 से लेकर 10 हजार के बीच होते थे, परन्तु व्यवहार में केवल 33 ग्रेड थे।
- सामान्यत: 5000 जात रैंक से अधिक मनसबदारी नहीं दी जाती थी। केवल रक्त संबंध के लोग और कुछ महत्वपूर्ण अमीर इसके अपवाद थे। उदाहरण के लिए, अकबर के काल में राजपूत मनसबदार राजा मानसिंह तथा औरंगजेब के काल में सवाई जयसिंह और जसवंत सिंह को सात हजार जात एवं सवार रैंक की मनसबदारी प्राप्त हुई।
- सामान्य तौर पर सवार रैंक, जात रैंक से अधिक नहीं हो सकती थी, परंतु विशेष परिस्थितियों में ऐसा संभव था।

- यद्यपि कुछ मनसबदारों को नकद में वेतन दिया जाता था और वे मनसबदार नकदी मनसबदार कहलाते थे, परंतु बड़े मनसबदारों का वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। इसे 'जागीर-ए-तनख्वाह' के नाम से जाना जाता था। जागीर-ए-तनख्वाह भूमि का आवंटन नहीं, अपितु राजस्व का आवंटन था।

■ **जागीर के प्रकार-**

1. **जागीर-ए-तनख्वाह-** यह सबसे प्रचलित जागीर थी जो मनसबदारों को दी जाती थी। इसमें जात रैंक एवं सवार रैंक के आधार पर किसी मनसबदार की वार्षिक तनख्वाह का निर्धारण होता था। फिर उन्हें उतनी आय की जागीर तनख्वाह के रूप में दी जाती थी।
2. **वतन जागीर-** यह जागीर राजपूत मनसबदार को वंशानुगत रूप में दी जाती थी। वतन जागीर स्वयं उन राजपूत शासकों का अपना क्षेत्र होता था जिस पर राज्य उनका नियंत्रण स्वीकार कर लेता था।
3. **मशरूत जागीर-** यह एक प्रकार की सशर्त जागीर होती थी जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए मनसबदार को दी जाती थी, किंतु कार्य पूरा होते ही उसे वापस ले लिया जाता था। इसके माध्यम से अतिरिक्त घुड़सवारों का खर्च पूरा किया जाता था।
4. **अल्तमग्गा जागीर-** यह जागीर वतन जागीर के ही मॉडल पर मुस्लिम मनसबदारों को दी जाती थी।

- **दो अस्पा-सिह अस्पा पद्धति-** यह पद्धति जहाँगीर के काल में आरंभ हुई। इस पद्धति के तहत किसी मनसबदार के जात रैंक को बढ़ाए बिना उसके अधीन सवारों की संख्या दोगुनी (दो अस्पा) अथवा तिगुनी (सिह-अस्पा) की जा सकती थी। इसका उद्देश्य जात रैंक में परिवर्तन के बिना ही कुछ महत्वपूर्ण मनसबदारों की सेवा प्राप्त करना था।

■ **इक्तादारी पद्धति एवं जागीरदारी/मनसबदारी पद्धति में अंतर-** इक्तादारी पद्धति में मुक्ती को पहले इक्ता प्रदान किया जाता था, फिर उन्हें दायित्व दिया जाता था और उसी के अनुरूप उनकी तनख्वाह निर्धारित की जाती थी। परंतु जागीरदारी पद्धति में पहले मनसबदार का दायित्व निर्धारित किया जाता था और उसी के अनुरूप उनकी तनख्वाह का निर्धारण होता था तथा उन्हें जागीर दी जाती थी अर्थात् जागीरदारी व्यवस्था में फ़वाजिल की गुंजाइश नहीं थी। दूसरे, इक्ता व्यवस्था में मुक्ती को प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया गया था, परंतु जागीरदारी व्यवस्था में प्रशासन का दायित्व राज्य के अंतर्गत था तथा जागीरदार को केवल अपनी जागीर से राजस्व वसूल करने का अधिकार था।

■ **जागीरदार व जमींदार में अंतर-** जैसा कि हम जानते हैं कि मनसबदार/जागीरदार सरकारी अधिकारी होते थे, जिनकी नियुक्ति राज्य के द्वारा की जाती थी तथा राज्य से उन्हें तनख्वाह प्राप्त होती थी। यह तनख्वाह प्रायः जागीर में दी जाती थी। जागीर में राजस्व हस्तांतरण होता था। दूसरे शब्दों में, जागीर के अंतर्गत कई गाँव का राजस्व शामिल होता था।

ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार भी होते थे जो पुश्तैनी होते थे और मुगल साम्राज्य से पहले से चले आ रहे थे। वे किसानों के उत्पादन के एक भाग पर पुश्तैनी रूप में अपना दावा रखते थे। मुगल साम्राज्य ने उन्हें अनुशासित करने का प्रयत्न किया। उन्हें भू-राजस्व संग्रह से भी जोड़ा तथा उत्पादन का एक अंश (कुल उत्पादन का लगभग 10%) 'नानकर' के रूप में स्वीकार किया। परंतु राज्य ने इस बात का भी ध्यान रखा कि वे ज्यादा शक्तिशाली न हों तथा राज्य के लिए समस्या पैदा न करें। इन जमीदारों की गतिविधियों पर फौजदार व जागीरदार दोनों नजर रखते थे।

■■■